दिल्ली विकास प्राधिकरण
समन्वय (आवास)
विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली
परिपत्र

सं.एफ/1/0001/2025/कॉर्ड/-ओ/ओ डीडी (कॉर्डिनेशन) दिनांक: 06.01.2025

विषयः विभिन्न लोक प्रिय क्षेत्रों में उपलब्ध एचआईजी, एमआईजी और एलआईजी फ्लैटों की बिक्री के लिए "जैसा है जहां है" के आधार पर डीडीए विशेष आवास योजना 2025 (ई-नीलामी) का शुभारंभ:

दिल्ली विकास प्राधिकरण **विभिन्न लोक प्रिय क्षेत्रों में उपलब्ध एचआईजी, एमआईजी और एलआईजी फ्लैटों की बिक्री के लिए "जैसा है जहां है" के आधार पर डीडीए विशेष आवास योजना 2025 (ई-नीलामी) शुरू करने जा रहा है।**

2. निम्नलिखित फ्लैटों को ई-नीलामी मोड में पेश किया जाएगा:

क्रमसं.	फ्लैट श्रेणी	स्थान	फ्लैटों की संख्या *	फ्लैट के प्लिंथ क्षेत्रफल की अनुमानित सीमा (वर्ग मीटर में) **	अनंतिम आरक्षित मूल्य की विस्तृत सीमा (रु. लाख में) ***
1	एमआईजी	महिपालपुर रोड पर वसंत कुंज	7	129से 141.5 तक	177से 194 तक
2	एमआईजी	द्वारका ,सेक्टर 14, फेज II	20	116.27 से 132.35 तक	128से 147 तक
3	एमआईजी	द्वारका ,सेक्टर 19बी ,पाकेट 3	18	119.66 से 129.98 तक	136से 148 तक
4	एमआईजी	महिपालपुर रोड पर वसंत कुंज	2	89से 90 तक	94से 95 तक
5	एमआईजी	डी-6, वसंत कुंज	2	107से 118 तक	147से 166 तक
6	एमआईजी	सेक्टर 17, द्वारका	2	68से 80 तक	71से 84 तक
7	एमआईजी	सेक्टर 13, द्वारका	1	79.45 तक	83
8	एमआईजी	सेक्टर 10, द्वारका	2	82से 88.5 तक	85से 92 तक
9	एमआईजी	जहांगीरपुरी	10	69से 100 तक	114से 139 तक
10	एमआईजी	लोनी के पूर्व में	1	64	57.1
11	एलआईजी	महिपालपुर रोड पर वसंत कुंज	2	60से 71.1 तक	52से 62 तक
12	एलआईजी	लोनी के पूर्व में	2	41.64	29
13	एलआईजी	जाफराबाद	1	42.4	29.4
14	एलआईजी	रोहिणी सेक्टर 16	5	46.8 से 48.4 तक	37.4 से 40 तक
15	एलआईजी	रोहिणी सेक्टर 20	1	40.67	45.21

16	एलआईजी	रोहिणी सेक्टर 21	1	43.33	48.3
17	एलआईजी	सेक्टर 23बी ,द्वारका	3	33.3 से 33.82 तक	28से 28.51 तक
18	एलआईजी	फैज़ रोड के किनारे अशोक पहाड़ी	30	44.73	44.4
			110		

टिप्पणी:

*** योजना के शुभारंभ के समय फ्लैटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है तथा किसी विशेष स्थान/जोन में फ्लैटों की संख्या उपलब्धता के आधार पर बदली जा सकती है।**
****प्लिंथ क्षेत्र में कॉमन एरिया शामिल है और यह फ्लैट से फ्लैट में भिन्न हो सकता है।**
*****किसी फ्लैट के लिए मांग पत्र उस फ्लैट के लिए प्राप्त योग्य H1 बोली के अनुसार जारी किया जाएगा। इसलिए , H1 बोलियों की मात्रा के आधार पर फ्लैटों के बीच मांग राशि अलग-अलग होगी। अस्थायी आरक्षित मूल्य में रखरखाव शुल्क ,परिवर्तन प्रभार और पानी के कनेक्शन शुल्क शामिल नहीं है । मांग पत्र जारी करते समय ये शुल्क शामिल किए जाएंगे।**

3. ई-नीलामी का कार्यक्रम इस प्रकार होगा:

क्रम सं.	कार्यक्रम	तारीख
1.	फ्लैटों की ई-नीलामी के लिए परिपत्र जारी करने की तिथि	06.01.2025 (सोमवार)
2.	पंजीकरण एवं ईएमडी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की शुरूआत	14.01.2025 सुबह 11.00 बजे से
3.	ई-नीलामी में भाग लेने और ऑनलाइन ईएमडी प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि	04.02.2025 (मंगलवार) सायं 6:00 बजे तक
4.	आवेदन का अंतिम प्रस्तुतीकरण	06.02.2025 (गुरुवार) सायं 6:00 बजे तक
5.	ऑनलाइन ई-नीलामी का प्रारंभ (फ्लैट-वार कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा)	11.02.2025 (मंगलवार) से शुरू

उपर्युक्त कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अधिसूचना केवल डीडीए वेबसाइट www.dda.gov.inऔर https://eservices.dda.org.in **पर ही दी जाएगी।**

4. प्रतिभागियों को ई-नीलामी पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा ,जिसे /https://dda.etender.sbi/SBI पर जाकर एक्सेस किया जा सकता है तथा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रत्येक फ्लैट के लिए अलग से 2,500 रुपये) जीएसटी सहित (का भुगतान करना होगा ,जो गैर-समायोज्य और अप्रतिदेय है।
5. बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ,संभावित बोलीदाता को ई-नीलामी पोर्टल के ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से ,प्रत्येक फ्लैट के लिए अलग से बयाना राशि जमा) ईएमडी (के रूप में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है ,ताकि वे ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र हो सकें।

क्रमसं.	फ्लैट श्रेणी	ईएमडी
.1	एलआईजी (1 बीएचके)	4,00,000/- रूपये
.2	एमआईजी (2 बीएचके)	10,00,000/- रूपये
.3	एचआईजी (3 बीएचके)	15,00,000/- रूपये

नोट :ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से एच 1बोलीदाता की सफल घोषणा के बाद फ्लैट के सरेंडर के मामले में ,लागू पूर्ण ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

6. **आरक्षित मूल्य** : इन फ्लैटों का आरक्षित मूल्य डीडीए की मानक लागत नीति और चालू वर्ष 25-2024 के लिए पीएआर/पीडीआर के मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया गया है ,जिसका उपयोग ई-नीलामी के लिए आधार मूल्य के रूप में किया जाएगा।

7. **रख-रखाव प्रभार:**
रख-रखाव प्रभार के संबंध में ,यह उसी तरह लगाया जाएगा जैसा कि संबंधित योजना के ब्रोशर में निर्धारित किया गया है जिसमें इन फ्लैटों को पहली बार पेश किया गया था। द्वारका के सेक्टर 14 में ई-नीलामी के बचे हुए एमआईजी फ्लैटों के लिए ,रखरखाव प्रभार दिवाली विशेष आवास योजना) 2023 ई-नीलामी (के समान निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होंगे। जहां तक द्वारका के सेक्टर19 बी ,पैकेट 3-के बचे हुए एमआईजी फ्लैटों का संबंध है ,रख-रखाव प्रभार डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 के समान निबंधन और शर्तों के साथ प्रशासित किया जाएगा। हालांकि ,यह स्पष्ट किया जाता है कि इन फ्लैटों के रखरखाव के संबंध में ,संबद्ध नियम और शर्तें उस योजना के अनुसार समान होंगी जिसमें उन्हें पहली बार पेश किया गया था। इसके अलावा ,यह स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षित मूल्य में रख-रखाव प्रभार शामिल नहीं है

8. ये फ्लैट विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत पहले पेश किए गए हाउसिंग पॉकिट्स से बचे हुए फ्लैट हैं जिन्हें आगे बढ़ाया गया है और डीडीए द्वारा **जैसा है-जहां है के आधार पर पेश किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए , बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी** समय अपने स्वयं के खर्च पर पेश किए गए फ्लैटों का आकलन और निरीक्षण करने के लिए संबंधित हाउसिंग पॉकिट्स का फील्ड विजिट करें और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पहले फ्लैटों के स्थान ,आकार और कीमत के बारे में खुद को संतुष्ट करें।

9. विशेष श्रेणी में आरक्षण डीडीए द्वारका आवास योजना ब्रोशर (नीलामी-ई) 2024के खंड 8 के अनुसार प्रदान किया जाएगा ।

10. शेष **निबंधन और शर्तें** डीडीए द्वारका आवास योजना) 2024 ई-नीलामी (ब्रोशर के अनुसार होंगी ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कुणाल कश्यप
आयुक्त (आवास)

नोट :यदि कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा